<u>न्यायालयः- विशिष्ट न्यायाधीश(एनडीपीएस एक्ट, मामलात)</u>

<u>अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी	–	राजेन्द्र चौधरी, R.J.S.(DJ Cadre)
सेशन प्रकरण संख्या	–	117/2021
सीएनआर नंबर	–	**RJCH010005442021**
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं०	–	97/2020
अंतर्गत धारा	–	8/15 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985
पुलिस थाना	–	सदर, चूरू

राजस्थान राज्य

..... **अभियोगी**

बनाम

1.राजवीरसिंह उर्फ रिंकू पुत्र हुक्मसिंह उम्र 46 साल निवासी रेल माजरा पुलिस थाना काठगढ तहसील बलाचोर जिला शहीद भगतसिंह नगर पंजाब

..... **अभियुक्त**

<u>अपराध अंतर्गत 8/15 स्वापक औषधि</u>

<u>मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985</u>

उपस्थितः–

1. श्री राजेश माटोलिया, विद्वान विशिष्ट अपर लोक अभियोजक वास्ते राज्य।
2. विद्वान अधिवक्ता–श्री शेरसिंह पूनिया वास्ते अभियुक्त

–: निर्णय :– **<u>दिनांकः–18.04.2026</u>**

1. थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर चूरू ने अभियुक्त राजवीरसिंह के विरुद्ध 8/15,25 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (**जिसे आगे संक्षेप में "अधिनियम" के नाम से संबोधित किया जाएगा**) में आरोप पत्र श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायालय चूरू में पेश किये जाने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में प्रसंज्ञान लेकर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरू ने सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अन्तरित किया।
2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि पुलिस थाना सदर चूरू के पुलिस कर्मियों द्वारा दिनांक 08.09.2020 को एन.एच.52 पर नाकाबन्दी की जा रही थी इसी दौरान चूरू की तरफ से एक ट्रक संख्या पीबी 65 एएन 8582 आया जिसे रूकवाकर चैक किया गया तो उसमे चालक की सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम

CNR NO. RJCH 010005442021

राजवीरसिंह उर्फ रिकू होना बताया तथा ट्रक में भरे सामान के बारे में पूछा तो प्याज होना बताया जिसपर नियमानुसार ट्रक की तलाशी ली गई तो ट्रक में प्याज के कटटे होने पाए गए । ट्रक के कैबिन में एक प्लास्टिक का कटटा मिला जिसमे कुल 05 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्त चूरा मिला जिस बाबत कोई लाईसेंस/परमिट नहीं होने पर नियमानुसार सैम्पलिग की गई तथा फर्द जप्ती तैयार कर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 97/2020 जुर्म दफा 8/15 एनडीपीएस में दर्ज् की जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा बाद अनुसंधान आरोपी/प्रार्थी राजवीरसिंह के विरूद्व धारा 8/15 व 25 एनडीपीएस एक्ट में अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरू के न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में प्रसंज्ञान लिया गया।

3.अभियुक्त राजवीरसिंह को धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4.अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित गवाहों को पेश कर साक्ष्य लेखबद्व करवाई गईः–

क्रम.सं.	गवाह सं.	गवाह का नाम	क्रम.सं	गवाह सं.	गवाह का नाम
1	**पी.डब्ल्यू–1**	दीपक अरोडा	3	**पी.डब्ल्यू–3**	इन्द्राज मीणा
2	**पी.डब्ल्यू–2**	वीरेन्द्रसिंह	4	**पी.डब्ल्यू–4**	लिछमणराम

5. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य, निम्न दस्तावेज को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया हैः–

क्र.सं.	**दस्तावेज संख्या**	**दस्तावेज का नाम**
1	**प्रदर्श पी–1**	मालखाना रजिस्टर की प्रति
2	**प्रदर्श पी–2**	रिसिलिंग फर्द
3	**प्रदर्श पी–3**	इन्वेन्ट्री की आदेशिका
4	**प्रदर्श पी–4**	इन्वेन्ट्री रिपोर्ट
5	**प्रदर्श पी–5**	धारा 52 ए एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत प्रमाण पत्र
6	**प्रदर्श पी–6 से 13**	फोटोग्राफस
7	**प्रदर्श पी–14**	धारा 57 एनडीपीएस की ईत्तला
8	**प्रदर्श पी–15**	एनक्लोजमेन्ट रसीद
9	**प्रदर्शपी–16 से 17**	रोजनामचा विवरण

इस स्टेज पर अभियुक्तगण ने आरोपो को स्वीकार करने बाबत लिखित मे प्रार्थना पत्र पेश किया जिसपर साक्ष्य अभियोजन बंद की गई।

6.अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति पर अभियुक्त को धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होने का कथन किया तथा उसे झूठा फंसाये जाने का कथन किया है तथा एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि सजा के प्रति नरमी का रूख अपनाया जावे । साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

7.बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई। अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है तथा बयान मुलजिम के दौरान एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि सजा के प्रति नरमी का रूख अपनाया जावे । इसलिये अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

8.जबकि विद्वान विशिष्ट अपर लोक अभियोजक ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत मौखिक तर्कों का विरोध किया एवं निवेदन किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोप संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को आरोपित आरोपों में दोषसिद्ध किया जाए।

9.उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्नानुसार है किः–

1 आया दिनांक 08.09.2020 को एनएच 52 नाकाबन्दी पोईन्ट पर अभियुक्त के कब्जे शुदा ट्रक संख्या पीबी 65 एनएन 8582 में से कुल 05 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्त चूरा बिना परमिट या लाईसेंस के बरामद हुआ।

2 यदि हां तो इसके लिये क्या दण्ड होगा?

10.विचारणीय बिंदु के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत संक्षिप्ततः निम्नानुसार हैः–

पी.डब्ल्यू.1 दीपक अरोडा	यह अनुसंधान साक्षी है जिसने कथन किया है कि उसने मथानिया में नवदुर्गा फ्रेट कैरियर के नाम से ट्रासपोर्ट कर रखी है जिसमे उसने दिनांक 07.09.2020 को प्याज के कटटे फर्म रामनिवास राठी 229 बोरी प्याज सुरज ट्रेडिंग कम्पनी सब्जी मंडी लुधियाना में

	भिजवाने के लिये ट्रक में लोड करवाये थे जिसके ड्राइवर राजवीरसिह उर्फ रिकू को बिल बिल्टी सुपुर्द की थी प्याज लुधियाना पहुंचना था लेकिन चूरू पुलिस द्वारा ट्रक को डोडा पोस्त चूरा में जप्त कर लिया था जिस कारण प्याज समय पर लुधियाना नहीं पहुंच सके जिनको 229 प्याज के कटटो को उसने न्यायालय से सुपुर्दगी पर लिया था।
पी.ड.–2 वीरेन्द्रसिंह	यह मालखाना इंचार्ज से संबंधित साक्षी है जिसने मालखाना के संबंध में साक्ष्य पेश की है।
पी.ड.–3 इन्द्राज मीणा	यह एफएसएल कैरियर से संबंधित गवाह है जिसने कथन किया है कि दिनांक 9.9.2020 सको वह पीएस सदर में कानि के पद पर तैनात था उस रो जउसे मालखाना इंचार्ज विरेन्द्रसिंह ने मुकदमा नम्बर 97/2020 का वजह सबूत शील्डशुदा हालत में मार्क ए मालखाना से निकालकर दिया था उसने एसपी कार्यालय से एफएसएल के नाम अग्रेषण पत्र जारी करवाकर दिनांक 10.09.2020 को वजह सबूत एफएसएल जोधपुर में शील्डशुदा हालत में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद की एक प्रति एसपी कार्यालय में दी थी तथा मूल प्रति मालखाना इंचार्ज को ले जाकर दी थी मालखाना से एसपी कार्यालय व एसपी कार्यालय से एफएसएल तक वजह सबूत जब तक उसके पास रहे शील्डशुदा हालत में रहे । अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–14 है प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–15 है उसकी रवानगी व वापसी के रोजनामचे की प्रति प्रदर्श पी–16 व 17 है।
पी.ड.–4 लिछमणराम	यह अनुसंधान साक्षी है जिसने अनुसंधान के संबंध में साक्ष्य पेश की है।

Evaluation and appreciation

11.इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि ट्रक संख्या पीबी 65 एएन 8582 में कुल 05 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्त चूरा बरामद किया गया एवं उक्त ट्रक को अभियुक्त द्वारा परिवहन किया जा रहा है तथा अभियुक्त राजवीरसिंह ने एक प्रार्थना पत्र पेश करके जाहिर किया कि प्रस्तुत प्रकरण में जप्तशुदा नारकोटिक पदार्थ की मात्रा काफी कम है, जोकि अल्प

मात्रा से थोडी ही अधिक 5 किलो 500 ग्राम है। अभियुक्त सन 2021 से अंवीक्षा भुगत रहा है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर न जाकर लोक अदालत की भावना से सजा के प्रति नरमी का रूख अपनाया जाकर इसी स्टेज पर निस्तारित किया जाने का निवेदन किया। अभियुक्त प्रार्थी के उक्त् लिखित कथनों एवं मौखिक अभिवचनों को धारा 229 सीआरपीसी के तहत माना जाकर प्रस्तुत प्रकरण का निस्तारण जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर किया जा रहा है। अतःअभियुक्त् राजवीरसिंह को अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषसिद्व घोषित किया जाता है।

आदेश

12.अतः अभियुक्त राजवीरसिंह उर्फ रिंकू पुत्र हुक्मसिंह उम्र 46 साल निवासी रेल माजरा पुलिस थाना काठगढ तहसील बलाचोर जिला शहीद भगतसिंह नगर पंजाब को अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषसिद्व घोषित किया जाता है।

(राजेन्द्र चौधरी)

सजा के बिन्दू पर

13.सजा के बिन्दू पर सुना गया । अभियुक्त ने जाहिर किया कि वह सन 2021 से अन्वीक्षा भुगत रहा है तथा बरामदशुदा नारकोटिक पदार्थ की मात्रा अल्प है व अभियुक्त का प्रथम अपराध है तथा अभियुक्त ने निवेदन किया है कि प्रकरण को लघु मात्रा के समान मानते हुए लोक अदालत की भावना से नरमी का रूख अपनाकर किये जाने का निवेदन किया गया ।

14. अपर लोक अभियोजक ने इन तर्को का विरोध किया।

15. पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त लगभग पांच वर्षो से अंवीक्षा भुगत रहा है एवं अभियुक्त से पांच किलो पाच सौ ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ है जबकि 1000 ग्राम तक की मात्रा अल्प मात्रा में आती है। अभियुक्त की पारिवारीक स्थिति को देखते हुये नरमी का रूख अपनाया जाना उचित प्रकट होता है। इस प्रकार यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्त् सन 2021 से प्रस्तुत प्रकरण में अंवीक्षा भुगत रहा है जिसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त **हरिपदादास बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल (1998) 9 एससीसी पेज 678** में यह विधिक सिद्वान्त प्रतिपादित करता है कि लम्बे समय से ट्रायल भुगतने के तथ्य को अभियुक्त के पक्ष में Conviction की स्टेज पर सहानुभूतिपूर्वक लेना चाहिए। उक्त् समस्त विश्लेषणानुसार अभियुक्त् राजवीरसिंह को अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में दोषसिद्व किया जाता है।

CNR NO. RJCH 010005442021

दण्डादेश

16.अभियुक्त राजवीरसिंह उर्फ रिंकू पुत्र हुक्मसिंह उम्र 46 साल निवासी रेल माजरा पुलिस थाना काठगढ तहसील बलाचोर जिला शहीद भगतसिंह नगर पंजाब को अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 स्वापक औषधि व मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में दोषसिद्व किये जाने परः-

1. अभियुक्त राजवीरसिह को अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 स्वापक औषधि व मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अपराध में दोषसिद्व किये जाने पर अभियुक्त को दस दिवस का कठोर कारावास व 20,000/–रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त दो दिवस का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतेगा।

2. अभियुक्तगण की सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि उसकी मूल सजा में समायोजित की जावे। अभियुक्तगण का सजा वारंट पृथक से तैयार किया जावे।

3.धारा 363 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत इस निर्णय व दण्डादेश की प्रति अभियुक्तगण को निःशुल्क प्रदान की जावे।

4.अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

6.प्रकरण में जप्तशुदा डोडा पोस्त चूरा (फर्द प्रदर्श पी–14) को बाद गुजरने मियाद अपील, अपील न होने की सुरत में नियमानुसार निस्तारण कर दिया जावे । प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक संख्या पीबी–65–ए.एन–8582 को पूर्व से प्रार्थी/अभियुक्त राजवीरसिंह को सुपुर्दगी पर दिया हुआ है जिसका सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा को बाद गुजरने मियाद अपील, अपील न होने की सुरत में स्वतः निरस्त समझा जावे।

(राजेन्द्र चौधरी)

17.निर्णय आज दिनांक 18.04.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया ।

(राजेन्द्र चौधरी)

CNR NO. RJCH 010005442021

P.P.

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.04.23 11:16:47 IST